गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2016 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2016 को दोहपर 1.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही –

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02.	प्रो0 जे.एस. दांगी	सदस्य
03.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
04.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
05.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
06	प्रो. मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
07.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
08.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
09.	डॉ0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
10.	डॉ0 एम.सी. राव	सदस्य
11.	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
12.	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव
13.	प्रो. एस.व्ही.एस. चौहान, अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित

बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव एवं सचिव विद्यापरिषद् की स्थायी समिति द्वारा बैठक की कार्यसूची के संदर्भ में समिति के सदस्यों को निम्नानुसार संक्षिप्त जानकारी प्रदान देते हुए अवगत कराया कि –

1. वर्तमान में गठित की जाने वाली छात्रपरिषद् में अकादमिक कौंसिल के नामित सदस्यों की अर्हता एवं प्रावीण्यता पर शिकायतें प्राप्त हुई है।
2. छात्रपरिषद् के लिए चार अध्ययनशालाओं यथा – कला, समाज विज्ञान, विधि एवं भौतिकी विज्ञान से नामित सदस्यों की अर्हता एवं नामांकन संबंधी समस्या पर पुनर्विचार कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति द्वारा विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्रपरिषद् विनियम, 2011 के प्रकाश में सभी अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण उनके अध्ययनशालाओं की ओर से नामित /अनुशंसित छात्र सदस्यों के नामों का पुनः परीक्षण करेंगे तथा परीक्षणोपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि ''उनके द्वारा नामित /अनुशंसित छात्र की सदस्य के रूप में अर्हता उक्त छात्रपरिषद् विनियम, 2011 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उचित एवं सही है तथा अध्ययनशालाओं के द्वारा सही नामांकन किया गया है।''

   यदि किसी प्रकार की अन्य अनुशंसा या विनियम, 2011 के संदर्भ में अभिमत प्रदान करना आवश्यक हो तो वह भी अधिष्ठातागण उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र /कथन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर सकते हैं।

19/12/16

2. यह भी निर्णय लिया गया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्रपरिषद् विनियम, 2011 (संशोधित) के कतिपय प्रावधानों पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। अतः उक्त विनियम, 2011 को परिनियम/अध्यादेश प्रारूपन समिति को पुनर्विचार हेतु प्रेषित किया जाये तथा समिति से आवश्यक सुधारों की अनुशंसा प्राप्त की जाये।

समिति सुधार हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करने के पूर्व अधिष्ठातागणों से अभिमत प्राप्त करेंगी एवं उक्त अभिमत के आधार पर विनियम, 2011 में आवश्यक संशोधन का सुझाव प्रस्तुत करेंगी।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

19/12/16

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष